UPAG010036182022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–13, आगरा।
उपस्थित : रनवीर सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06459

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1944/2022

कादिर उर्फ आदिल पुत्र मजहर अली खान निवासी–कटरा पठान, शादी मस्जिद के पास, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद। हाल निवासी–नगला लेखराज मन्दिर के पास, धनौली, थाना मलपुरा, जिला आगरा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–68/2022
धारा : 457, 380, 411 भा0द0सं0
थाना–न्यू आगरा, जिला आगरा

दिनांक : 11.04.2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त कादिर उर्फ आदिल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–68/2022 अन्तर्गत धारा 457, 380, 411 भा0दं0सं0 थाना न्यू आगरा, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात यह जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार जीशन के शपथ पत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि यह प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी नावेद बेग द्वारा दिनांक 24.02.2022 को थाने पर तहरीर इस आशय की दी गई कि वह दिनांक 23.02.2022 को कामल से दिल्ली गया था। दिनांक 24.02.2022 को जब वह सुबह 08:00 बजे घर पहुॅचा तो उसने पाया कि उसकी गैर मौजूदगी में घर के ताले टूटे हुए थे और अज्ञात चोरों द्वारा उसकी अलमारी से सोने व चांदी

के जेवरात और 2,50,000/– रूपए चोरी पाए। अतः जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने व उसका सामान व रूपए प्राप्त कराने की प्रार्थना की गयी।

वादी की तहरीर के आधार पर अज्ञात में प्राथमिकी, मु0अ0सं0 68/2022 धारा 457, 380 भा0द0सं0 के अन्तर्गत, थाना न्यू आगरा, आगरा पर अंकित की गई। दौरान विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मामले में धारा 411 भा0द0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूँठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह पूर्णतः निर्दोष है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.03.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी को दिनांक 22.03.2022 को पुलिस द्वारा उसके घर से उठाया गया है और पुलिस घर में रखे 14 हजार रूपए, उसकी मोटरसाईकिल, मोबाइल, बहन के गले का हार व दो सोने की अंगूठी, एक चेन सोने की ले गयी और घर में रखा सामान तोड़ फोड़ गयी। प्रार्थी से जो बरामदगी दिखायी गयी है, वह उसकी बहन व बहनोई व उसकी स्वयं की है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के मकान का ताला तोड़कर चोरी की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से इस प्रकरण से संबंधित चोरी का माल बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर से ताला तोड़कर चोरी करने तथा उससे चोरी का माल बरामद होने का आरोप है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त को सह–अभियुक्तगण के कथन के आधार पर मामले में अभियुक्त बनाया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक 23.03.2022 को पुलिस पार्टी द्वारा मुखबिर की सूचना पर पॉच व्यक्तियों को पकड़ा गया है तथा दो व्यक्तियों को मौके से भाग जाना बताया गया है। पकड़े गए व्यक्तियों ने भाग गए व्यक्तियों के नाम कादिर उर्फ आदिल व फैजल उर्फ गोल्डी बताए, जिसके आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में नामित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 26.03.2022 को पुलिस पार्टी द्वारा मुखबिर की सूचना पर सह–अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया जाना बताया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से चेन/हार, दो अंगूठी पीली धातु, 2000/– रूपए नगद, एक आधार कार्ड सरोज उत्प्रेती व एक ओप्पो कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद किया जाना बताया गया है। तथाकथित बरामद जेवरात की शिनाख्त वादी मुकदमा से कराए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि उक्त जेवरात उसकी बहिन के हैं। गिरफ्तारी तथा बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.03.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के तथ्यों के गुणदोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये हुए, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी/अभियुक्त कादिर उर्फ आदिल का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0. 1,00,000/– रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, दाखिल करने पर, प्रार्थी/अभियुक्त

को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :

1. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।
2. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विवेचना/विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन की दशा में संबंधित न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–13, आगरा।
11.04.2022